भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1353

25.07.2022 को उत्तर के लिए

मानव-पशु संघर्ष

1353 डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मानव-पशु संघर्ष के प्रमुख कारण क्या हैं और इस संघर्ष में मारे गए मानव और वन्य पशुओं का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संघर्ष को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण पर सख्ती से नजर रख रही है और यदि हां, तो पाए गए और हटाए गए अतिक्रमण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का कोई निर्देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्थानीय समुदायों की आजीविका पर मानव-पशु संघर्ष के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निवारक और वैकल्पिक उपाय किए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार को पता है कि दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस संघर्ष को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में बाघों, हाथियों, एशियाई शेर, राइनो आदि जैसी कई वन्यजीव प्रजातियों की आबादी की वृद्धि हुई है। मानव वन्यजीव संघर्षों के आकलन से संकेत मिलता है कि मानव वन्यजीव संघर्ष के मुख्य कारणों में पर्यावास की हानि, वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि, खेती के पैटर्न में बदलाव जो वन्य जीवों को खेत की ओर आकर्षित करते हैं, वन्य जीवों की भोजन और चारे के लिए वन क्षेत्र से मानव वर्चस्व वाले परिदृश्य में आवाजाही, वन उत्पादों के अवैध संग्रह के लिए मनुष्यों की वनों की ओर आवाजाही, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि के कारण पर्यावास का क्षरण आदि शामिल है।

मंत्रालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बाघों और हाथियों के हमलों के कारण मानव मृत्यु की संख्या अनुबंध-I और अनुबंध -II में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघ और हाथी की मृत्यु का ब्यौरा अनुबंध - III , IV , V , VI और VII पर दिया गया है। हालांकि, अतिक्रमण से संबन्धित आंकड़ों को मंत्रालय के स्तर पर एकत्रित और प्रबंधित नहीं किया जाता है ।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय ने वनो में अतिक्रमण के संबंध में समय-समय पर कई निर्देश दिए हैं।

(घ) और (ड) वन्य जीव मानव पर्यावासों और खेतों में घुस जाते हैं एवं खड़ी फसलों और घरों को नष्ट कर देते हैं और मानव की मौत के कारण मानव हाथी संघर्ष के संबंध में रिपोर्ट हाथी रेंज राज्यों से प्राप्त होती है। तमिलनाडु सहित हाथी बहुल राज्यों से मानव हाथी संघर्ष की सूचनाए प्राप्त होती है तमिलनाडु राज्य सहित सरकार द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

i. मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिनांक 06.02.2021 को जारी की गई परामर्शिका में सुझाव दिया गया है कि मनुष्यों की मृत्यु हो जाने और चोट लगने के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के एक उपयुक्त भाग का भुगतान 24 घंटे के भीतर दिया जाता है।
ii. वन्यजीव पर्यावासों के विकास की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सुरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए जल कुण्डों का निर्माण और रखरखाव, मृदा और नमी संरक्षण उपायों, अवैध शिकार रोकने के लिए शिविरों की स्थापना, वन्यजीव पशु-चिकित्सा देखभाल केंद्रों को मजबूत करने, खरपतवार को हटाने, फायर लाइनों के निर्माण और रखरखाव, बाघ सुरक्षा दल और विशेष बाघ सुरक्षा दल आदि की तैनाती करने जैसे कार्यकलापों के लिए मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
iii. रेखीय अवसंरचना की रूपरेखा तैयार करने में परियोजना अभिकरणों की सहायता करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उपायों संबंधी दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।
iv. मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे और हाथी बहुल राज्यों से उन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया था।
v. हाथी संरक्षण में तालमेल तथा उस पर ध्यान देने के लिए और संषर्घ को कम करने के लिए संकटापन्न हाथी पर्यावास को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना मंत्रालय में गठित संचालन समिति के अनुमोदन से जारी की जाती है।
vi. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मनुष्य बहुल भू-दृश्यों में बाघों के आवागमन के कारण होने वाली आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए और बाघों द्वारा पशुओं को नुकसान पहुंचाने और भू-दृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्र से बाघों के पुनर्वास के लिए सक्रिय प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं।

*****

अनुबंध-I

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कलैंडर वर्ष में राज्यों में बाघ रिजर्वों में बाघों के हमले से हुई मानव मृत्यु का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2019	2020	2021
1	बिहार	0	1	3
2	कर्नाटक	4	0	1
3	केरल	0	1	0
4	मध्य प्रदेश	1	6	0
5	महाराष्ट्र	26	25	10
6	राजस्थान	5	0	0
7	तमिलनाडु	0	1	3
8	तेलंगाना	0	2	0
9	उत्तर प्रदेश	8	4	13
10	उत्तराखंड	3	0	1
11	पश्चिम बंगाल	3	4	0

अनुबंध -II

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथियों द्वारा हुई मानव मृत्यु की संख्या

क्रम सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	4	6	एन.आर.
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3	असम	75	91	63
4	छत्तीसगढ	77	42	64
5	झारखंड	84	74	133
6	कर्नाटक	29	23	17
7	केरल	12	20	25
8	महाराष्ट्र	1	एन.आर.	0
9	मेघालय	4	6	2
10	उड़ीसा	117	93	112
1 1	तमिलनाडु	58	57	37
12	त्रिपुरा	2	1	2
13	उत्तर प्रदेश	6	1	0
14	पश्चिम बंगाल	116	47	77

***एनआर -राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध -III

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बाघों की मृत्यु का (वर्ष-वार) ब्यौरा:

क्रम सं.	वर्ष	एन	यूएनपी	यूएस	पी	पकड़े गए
1	2019	44	3	22	17	10
2	2020	20	0	71	8	7
3	2021	4	2	104	4	13

एन - प्राकृतिक
यूएनपी - अप्राकृतिक किंतु अवैध शिकार के कारण नहीं
यूएस - जांच के तहत
पी – अवैध शिकार

अनुबंध- IV

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं से हुई हाथी की मृत्यु

क्रम सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	असम	2	2	5
2	पश्चिम बंगाल	6	5	0
3	तमिलनाडु	0	0	1
4	झारखंड	0	1	1
5	केरल	1	3	0
6	ओडिशा	7	1	4
7	उत्तराखंड	1	2	एन.आर.
8	कर्नाटक	2	0	1

***एनआर -राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध- V

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली के करंट से हाथी की मृत्यु

क्रम सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	2	5	1
2	असम	9	11	13
3	छत्तीसगढ	6	2	7
4	झारखंड	1	5	5
5	कर्नाटक	9	8	9
6	केरल	6	4	2
7	मेघालय	0	5	0
8	नगालैंड	4	2	1
9	ओडिशा	24	9	8
10	तमिलनाडु	10	15	9
11	उत्तर प्रदेश	3	3	0
12	उत्तराखंड	3	2	एन.आर.
13	पश्चिम बंगाल	4	5	10

***एनआर -राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध- VI

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकार से हाथियों की मौत

क्रम सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	झारखंड	1	1	0
2	केरल	0	1	1
3	महाराष्ट्र	0	0	एन.आर.
4	मेघालय	1	4	7
5	नगालैंड	0	0	2
6	ओडिशा	2	3	2
7	तमिलनाडु	1	0	2
8	उत्तराखंड	1	0	एन.आर.

***एनआर -राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध- VII

"मानव-पशु संघर्ष" के संबंध में दिनांक 25.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान जहर से हुई हाथियों की मौत

क्रम सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	असम	8	0	1
2	छत्तीसगढ	0	0	1
3	केरल	1	0	0